

**केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
पंत भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड,
पटना-800 001**

**बिहार पुलिस बल में सिपाही पद की वर्तमान रिक्तियों पर नियुक्ति
हेतु सूचना**

विज्ञापन संख्या-02/2009

बिहार पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम 7,2007) की धारा 55, सहपठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा बिहार पुलिस हस्तक में वर्णित सिपाही के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में कतिपय संशोधन करते हुये गृह (आरक्षी) विभाग से अधिसूचना संख्या - 4/ब-1-102/2008- 6843 दिनांक 11.08.08 प्रकाशित की गयी है ।

संशोधित प्रक्रिया के अन्तर्गत अभ्यर्थियों की पहले लिखित परीक्षा ली जायेगी एवं उसके आधार पर तैयार की गयी मेधा सूची में सफल उम्मीदवारों को आवश्यकतानुसार शारीरिक जाँच परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा ।

अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जाँच परीक्षा के लिए एक केन्द्रीय चयन पर्षद का गठन किया गया है ।

यह पर्षद लिखित परीक्षा, शारीरिक जाँच परीक्षा एवं चिकित्सकीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा जिले के पुलिस अधीक्षक/वाहिनी के समादेष्टा को भेजेगी । जिले के पुलिस अधीक्षक/वाहिनी के समादेष्टा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेंगे । नियुक्ति के पूर्व वे चयनित उम्मीदवारों के चरित्र का सत्यापन एवं पहचान भली भाँति जाँचकर सुनिश्चित कर लेंगे ।

जिला पुलिस एवं सैन्य पुलिस बल में सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क पर (परीक्षा शुल्क के रूप में) (कम्प्यूटर कम्पेटिबल) आवेदन पत्र का क्रय करना होगा ।

जिला पुलिस एवं सैन्य पुलिस की रिक्तियों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया एक साथ होगी । अभ्यर्थियों को अपनी प्राथमिकता देने का अवसर दिया जाएगा कि वे प्राथमिकता जिला पुलिस को देते हैं या सैन्य पुलिस को । नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधाक्रम के अनुसार इनके द्वारा दी गयी प्राथमिकता पर विचार किया जायेगा ।

जिला पुलिस के लिए चयनित अभ्यर्थियों को उनके मेधाक्रम में उनके द्वारा दी गयी प्राथमिकता तथा रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर किसी जिला में नियुक्त किया जायेगा ।

लिखित प्रतियोगिता परीक्षा :-

आवेदन पत्र संकलन के उपरांत आवेदन पत्रों की जाँच की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाये जायेंगे उन्हें एडमिट कार्ड डाक द्वारा निर्गत किया जायेगा । जिन अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड निर्गत किया जायेगा उनकी लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी । लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दसवीं कक्षा के स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ (आब्जेक्टिव) प्रकार के होंगे । लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी । दो घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक देय होंगे । प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा । उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी , जिसमें से एक प्रति कार्बन प्रति के रूप में होगी और यह प्रति चयन पर्वद के पास सुरक्षित रखी जाएगी। जिला एवं सैन्य पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची लिखित प्रतियोगिता में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार होगी ।

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों के 1:5 अनुपात में प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक जाँच हेतु किया जाएगा ।

लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता जाँच/माप में सम्मिलित होना होगा एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा, परन्तु शारीरिक योग्यता जाँच/माप के आधार पर कोई अंक देय नहीं होगा । शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी ।

चिकित्सकीय परीक्षण - नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा । आँख, कलर व्लान्डनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट फूट एवं नौकिंग नी आदि की भी जाँच की जायेगी । नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा ।

अभ्यर्थियों की उम्र (दिनांक 01 जनवरी 2009 को):

- (1) सामान्य कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 23 वर्ष ।

- (2) पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों की छूट, यानि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष ।
- (3) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षों की छूट, यानि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 26 वर्ष ।
- (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट, यानि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए ।

शैक्षणिक योग्यता :- 10 वीं पास

आरक्षण :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992)(समय समय पर यथा संशोधित) के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे ।

परन्तु सिपाहियों की कुल उपलब्ध रिक्तियों के अधिकतम 50 प्रतिशत को बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृहरक्षकों से भरा जा सकेगा । गृहरक्षकों से भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए भी बिहार अधिनियम 3, 1992 के प्रावधानों के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा ।

गृहरक्षकों से भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को पाँच वर्षों की छूट दी जाएगी ।

योग्य गृह रक्षक उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता की दशा में गृह रक्षक कोटे की शेष रिक्तियों को उसी कोटि के गैर गृह रक्षक उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा ।

उँचाई -

- (1) सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए - न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर
- (2) सभी वर्गों की महिलाओं के लिए - न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर
- (3) भारतीय मूल के गोरखा के लिए सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस-1 (गोरखा बटालियन) में - न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर
- (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 162 से0मी0

सीना -

- (1) सामान्य/पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए

- बिना फुलाए - 81 से0 मी0 (न्यूनतम)
 फुलाकर- 86 से0 मी0 (न्यूनतम)
 (फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 से0मी0 अन्तर होना अनिवार्य होगा)
- (2) अनुसूचित जाति/ जनजाति के पुरुषों के लिए
 बिना फुलाए - 79 से0 मी0 (न्यूनतम)
 फुलाकर- 84 से0 मी0 (न्यूनतम)
 (फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 से0मी0 अन्तर होना अनिवार्य होगा)
- (3) महिलाओं के लिए सीना का माप नहीं होगा ।
- (4) भारतीय मूल के गोरखा के लिए सिर्फ गोरखा बटालियन में -
 बिना फुलाए - 79 से0मी0 (न्यूनतम)
 फुलाकर - 84 से0मी0 (न्यूनतम)

शारीरिक योग्यताएँ -

- (1) दौड़ -
 पुरुषों के लिए
 एक मील की दौड़ के लिए समय सीमा -
 6 मिनट (अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे)
 महिलाओं के लिए
 एक कि0मी0 की दौड़ के लिए समय सीमा
 6 मिनट (अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे)
- (2) उंची कूद -
 पुरुष के लिए - न्यूनतम 4 (चार) फुट
 महिला के लिए - न्यूनतम 3 (तीन) फुट
- (3) लंबी कूद -
 पुरुष के लिए - न्यूनतम 12 (बारह) फुट
 महिला के लिए - न्यूनतम 9 (नौ) फुट
- (4) गोला फेंक -
 पुरुष के लिए - 16 पौंड का गोला
 न्यूनतम 16 (सोलह) फुट फेंकना होगा ।
 महिला के लिए - 12 पौंड का गोला
 न्यूनतम 10 (दस) फुट फेंकना होगा ।

रिक्ति:- जिलों, रेल जिलों एवं बिहार सैन्य पुलिस की वाहिनियों में सिपाही कोटि में रिक्ति अनुलग्नक-(क) पर अंकित विवरणी में दर्शायी गयी है ।

आवेदन पत्र :- आवेदन पत्र इस प्रकार का होगा जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा अंकित सूचनाओं का डाटा बेस कम्प्यूटर द्वारा सीधे स्कैनिंग के माध्यम से तैयार किया जायेगा । इस प्रकार के आवेदन पत्र को तैयार करने एवं छप कर उपलब्ध होने की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है जिसमें अभी समय लगने की संभावना है । दिनांक- 30 मार्च 2009 तक आवेदन पत्र उपलब्ध होना अनुमानित है । आवेदन पत्र उपलब्ध होने पर पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को यथासमय सूचना दी जायेगी ।

अध्यक्ष,
केन्द्रीय चयन पर्वद-सह-पुलिस महानिरीक्षक,
बिहार सैन्य पुलिस, बिहार, पटना ।

अनुलग्नक- 'क'

सिपाही पद पर वर्तमान रिक्तियों की विवरणी तालिका

(आधार तिथि-23.09.2008)

क्रमांक	जिला/वाहिनी	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (महिला)	सामान्य	कुल योग
1	पटना	355	22	400	267	67	1122	2233
2	नालंदा	35	2	40	27	6	110	220
3	गया	46	2	51	33	9	0	141
4	नवादा	0	0	0	0	0	65	65
5	जहानाबाद	13	1	14	9	2	40	79
6	अरवल	0	0	0	0	0	134	134
7	औरंगाबाद	42	3	47	31	8	132	263
8	रोहतास	41	3	46	31	8	104	233
9	आरा (भोजपुर)	40	3	45	30	8	0	126
10	भभुआ (कैमूर)	13	1	15	10	3	44	86
11	बक्सर	25	2	28	19	5	43	122
12	मुजफ्फरपुर	31	2	25	21	4	76	159
13	वैशाली	39	2	44	29	7	91	212
14	सीतामढ़ी	17	1	20	13	3	55	109
15	शिवहर	12	1	13	9	1	38	74
16	सारण (छपरा)	17	1	19	13	3	52	105
17	सिवान	15	1	16	10	3	43	88
18	गोपालगंज	25	1	29	22	5	81	163
19	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	22	2	26	18	5	74	147
20	पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)	14	1	28	15	5	47	110
21	बगहा	10	1	12	9	2	34	68
22	दरभंगा	26	2	29	19	5	58	139
23	मधुबनी	19	1	25	7	4	31	87
24	समस्तीपुर	4	0	3	2	0	9	18
25	सहरसा	25	2	28	18	5	79	157
26	सुपौल	18	1	20	14	4	13	70
27	मधेपुरा	22	1	24	16	4	66	133
28	पूर्णिया	21	1	19	12	4	53	110
29	किशनगंज	21	1	22	15	4	44	107
30	अररिया	21	1	19	8	4	60	113
31	कटिहार	1	16	18	11	3	50	99
32	भागलपुर	6	96	107	72	18	288	587

क्रमांक	जिला/वाहिनी	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (महिला)	सामान्य	कुल योग
33	बांका	26	2	26	18	5	58	135
34	नवगछिया	0	0	0	0	0	52	52
35	मुंगेर	31	2	34	23	6	55	151
36	जमुई	10	3	10	6	1	0	30
37	शेखपुरा	7	0	7	5	1	20	40
38	लखीसराय	6	1	8	5	2	7	29
39	बेगूसराय	16	1	23	16	4	66	126
40	खगड़िया	12	1	12	9	2	14	50
41	रेल पटना	2	0	3	2	0	8	15
42	रेल कटिहार	4	0	0	2	0	39	45
43	रेल जमालपुर	21	1	22	17	6	63	130
44	रेल मुजफ्फरपुर	30	0	79	0	21	22	152
कुल योग		1161	185	1456	913	257	3540	7512

क्रमांक	जिला/वाहिनी	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (महिला)	सामान्य	कुल योग
45	बिहार सैन्य पुलिस-1 (गोरखा)	0	0	0	0	-	167	167
46	बिहार सैन्य पुलिस-2	8	0	10	7	-	15	40
47	बिहार सैन्य पुलिस-3	11	1	13	8	-	53	86
48	बिहार सैन्य पुलिस-5	14	0	3	3	-	0	20
49	बिहार सैन्य पुलिस-6	6	0	7	5	-	20	38
50	बिहार सैन्य पुलिस-7	49	3	55	36	-	47	190
51	बिहार सैन्य पुलिस-8	24	2	27	18	-	0	71
52	बिहार सैन्य पुलिस-9	25	1	29	19	-	79	153
53	बिहार सैन्य पुलिस-10	3	0	3	1	-	8	15
54	बिहार सैन्य पुलिस-12	53	3	59	21	-	160	296
55	बिहार सैन्य पुलिस-13	23	3	25	18	-	73	142
56	बिहार सैन्य पुलिस-14	3	0	3	1	-	8	15
57	बिहार सैन्य पुलिस-15	108	7	120	81	-	338	654
58	अश्वारोही सैन्य पुलिस	6	0	7	5	-	18	36
59	महिला बटालियन	108	7	120	81	21	338	675
कुल योग		441	27	481	304	21	1324	2598

संक्षिप्त विवरणी

क्रमांक	जिला/वाहिनी	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (महिला)	सामान्य	कुल योग
1	बिहार सैन्य पुलिस	441	27	481	304	21	1324	2598
2	जिला बल (रेल सहित)	1161	185	1456	913	257	3540	7512
कुल योग		1602	212	1937	1217	278	4864	10110